

* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दंडे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

क्रमांक ५१५

कार्यालय तहसील नंगा (राज.)

दिनांक ४।४।१२



जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी दिल्ला वंशी
 सुपुत्र/ सुपुत्री/ धर्मपत्नी श्री कराटा लक्ष्मी
 गांव/ नगर झुनवा जिला डिवीजन खुन्दी
 जाति/ समुदाय रेठी S.C. का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित
 जाति/ अनुसूचित आदिम जाति के रूप में सामान्यता दी गई है -

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिग जाति) संघ राज्य आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1951; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुर्नगठन अधिनियम) 1971; और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किए गये अनुसार।
- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डगान निकोबार ह्रीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- संविधान (दादर तथा नगर हयेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970

श्री/ श्रीमती/ कुमारी दिल्ला वंशी
 परिवार छुनवा गांव/ नगर खुन्दी जिला/ डिवीजन

राज्य/ संघ/ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

स्थान
दिनांक



* कृपया ऊँझव्हो को काट दीजिए जो लागू नहीं होते।

विशेष - यहाँ 'पर्युक्त सामान्यत' रहता है, का अर्थ वही होगा जो प्रतिनिधि अधिनियम, 1950 घारा 20 में है।

और/ अथवा उसका

जिला/ डिवीजन

तहसील दर्ता है राजस्थान
जिला झुन्दी (राजस्थान)